राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 130/2024

भवानी शंकर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff), अरण्य भवन, एमजी रोड़, जयपुर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, छत्तरगढ़, बीकानेर, राजस्थान।
4. पंकज कुमार शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज छत्तरगढ़, उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज प्रथम छत्तरगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री के.पी.एस. भाटी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह,राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री किशन बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में प्रार्थी पंकज कुमार शर्मा की ओर से अपील में पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को अपीलार्थी के स्थान पर रेंज छत्तरगढ़, कार्यालय उप वन संरक्षक, स्टेज–।, छत्तरगढ़ में आदेश दिनांक 20.02.2024 से स्थानांतरित किया गया है। ऐसे में प्रार्थी इस अपील में आवश्यक पर पक्षकार है, क्योंकि अपीलार्थी ने उसी स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश दिनांक 20.02.2024 को चुनौती दी है, जिस आदेश के द्वारा प्रार्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान किया गया है।
2. प्रार्थी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। हम पाते हैं कि प्रार्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर ही हुआ है। अतः इस अपील में प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थी पंकज कुमार शर्मा, हाल कार्यरत क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज छत्तरगढ़, उपवन संरक्षक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज प्रथम छत्तरगढ़, को अपील में प्रत्यर्थी संख्या–4 के रूप में पक्षकार जोड़ा जाता है। प्रार्थी का नाम लाल स्याही से मूल अपील में जोड़ा जाता है।

3. अपील में पक्षकारों को गुणावगुण पर सुना गया। इस अपील में अपीलार्थी ने अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.02.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रेंज छत्तरगढ़, उप वन संरक्षक, स्टेज–II, छत्तरगढ़ से विकास, कार्यालय उप वन संरक्षक, स्टेज–II, जैसलमेर किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के वर्तमान स्थान पर पदस्थापन करने के 4 माह 23 दिन की अल्प अवधि में स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर आदेश दिनांक 28.09.2023 के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, छतरगढ़ में पदस्थापित किया गया था, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 28.09.2023 को कार्यग्रहण किया। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को जारी किया है। इस प्रकार अल्प अवधि में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।
4. निजी प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी की पदोन्नति से पूर्व भी अपीलार्थी रेंज छतरगढ़ में उपवन संरक्षक स्टेज–प्रथम, छतरगढ़ में वनपाल के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी को उक्त स्थान पर वनपाल के पद पर आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा पदस्थापित किया गया था और तभी से अपीलार्थी रेंज छतरगढ़ में उपवन संरक्षक स्टेज–प्रथम, छतरगढ़ में कार्यरत हैं। ऐसे में अपीलार्थी का अल्प अवधि में स्थानांतरण नहीं किया गया है।
5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 13.01.2023 से रंगे छतरगढ़ में पदस्थापित है। ऐसे में अपीलार्थी का पदस्थापन नियमानुसार अन्य कार्यालय में किया गया है, जो प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।
6. हमने पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया गया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान कार्यालय में आदेश दिनांक 13.01.2023 से कार्यरत हैं, जिसका कार्यालय आदेश प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के उपरांत भी इसी पद पर कार्यरत रहा और बाद में अपीलार्थी का पदोन्नति उपरांत स्थानांतरण किया गया। अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान स्थान से 4 माह 23 दिन की अल्प अवधि में नहीं किया गया है, बल्कि करीब 9 माह पश्चात किया गया है। अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी का वर्तमान स्थानांतरण पदोन्नति उपरांत स्थानांतरण/पदस्थापन है, जो प्रशासनिक आवश्यकताओं

को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। हम आलोच्य आदेश को किसी भी प्रकार से नियम विरुद्ध होना नहीं पाते हैं और न ही अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी भी प्रकार की दुर्भावना होना प्रकट होता है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरुप यह अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी के संबंध में अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.03.2024 निरस्त किया जाता है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)